

सदनलाल सांवलदास खन्ना महिला महाविद्यालय में मानव अधिकारों के बारे में शिक्षा देने के उद्देश्य से मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। डॉ नीरजा सचदेव अध्यक्ष, अग्रेज़ी विभाग ने मानव अधिकारों पर व्याख्यान देते हुए कहा कि वर्ष 1948 में प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर को प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाये जाने की घोषणा में प्रस्तावना एवं 30 अनुच्छेद है। मानव अधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को गरिमा व अधिकारों के बारे में जन्मजात, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।

